

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, GREETING:

whereas the Agreement between the Government of India and the Government of Kuwait relating to Air Services was signed at New Delhi on the fourth day of January in the year one thousand nine hundred and eighty nine by the Representative of the Government of the Republic of India duly authorised for that purpose, which Agreement is reproduced word for word in the Annexure to this document;

AND WHEREAS it is fit and expedient to confirm and ratify the aforesaid Agreement;

NOW, THEREFORE, BE IT KNOWN that the Government of the Republic of India, having seen and considered the said Agreement, do hereby confirm and ratify the same.

IN TESTIMONY WHEREOF I, R. VENKATARAMAN, President of India, have signed these Presents and affixed hereunto my Seal at New Delhi this the tenth day of Phalguna of the Saka year one thousand nine hundred and eleven corresponding to the first day of March of the year one thousand nine hundred and ninety A.D., in the forty first year of the Republic of India.

(R. VENKATARAMAN) PRESIDENT OF INDIA

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF KUWAIT RELATING TO AIR SERVICES

The Government of India and the Government of Kuwait (hereinafter called the "Contracting Parties"),

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on December 7, 1944,

And desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing and operating air services between their respective territories and beyond,

Have agreed as follows:

ARTICLE - 1

- (1) For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on December 7, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof;
 - (b) the term "aeronautical authorities" means, in the case of Kuwait, the Director General of Civil Aviation, Kuwait and any person or body authorised to perform any functions presently exercised by the said Director General, and, in the case of India, the Director General of Civil Aviation, India, and any person or body authorised to perform any functions presently exercised by the said Director General;
 - the term "designated airline" means an airline which one Contracting Party shall have designated by written notification to the other Contracting Party for the operation of air services on the routes specified in such notification, in accordance with the provisions of Article 4 of the present Agreement;

- (d) the terms "territory", "air service", "International air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" shall have the meanings respectively assigned to them in Articles 2 and 96 of the Convention;
- (e) the term "change of gauge" means the operation of an air service by a designated airline in such a way that one section of the route is flown by aircraft different in capacity from those used on another section;
- (f) the term "Schedule" means the schedule to the present Agreement or as amended in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 14 of the present Agreement.
- (2) The Schedule forms an integral part of the present Agreement, and all references to the "Agreement" shall include reference to the Schedule except where otherwise provided.

Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement to enable its designated airline to establish and operate international air services on the routes specified in the Schedule (hereinafter called "agreed services" and "specified routes" respectively).

ARTICLE - 3

- (I) Subject to the provisions of the present Agreement, the designated airline of each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges:
 - to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
 - (b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes;
 - for that route in the schedule for the purpose of discharging and of taking on international traffic in passengers, cargo and mail.

(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

ARTICLE - 4

- (1) The agreed services on any specified route may be inaugurated immediately or at a later date at the option of the Contracting Party to whom the rights are granted under the provisions of Article 2 of the present Agreement, but not before:
 - (a) The Contracting Party to whom the rights have been granted shall have designated an airline for the route, and
 - (b) The Contracting Party granting the rights shall have given the appropriate operating permission in accordance with its laws and regulations to the airline concerned, which it shall grant without delay; provided that a tariff in respect of the agreed services shall have been established in accordance with the provisions of Article 10 of the present Agreement.
- (2) The airline designated by either Contracting Party may be required to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Party that it is qualified to fulfil the conditions prescribed by the laws and regulations normally and reasonably applied by those authorities to the operation of international air services.

ARTICLE - 5

(1) Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to a designated airline of the privileges specified in Article 3 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

- (2) Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by a designated airline of the privileges specified in Article 3 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by that airline of those privileges where the airline fails to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the present Agreement; provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is considered necessary to prevent further infringement of laws or regulations or is in the interest of aviation safety, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.
- (3) In the event of action by one Contracting Party under this Article, the rights of the other Contracting Party shall not be prejudiced.

- (1) There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services for the carriage of international traffic on the specified routes.
- of the agreed air services, the interests of the designated airline of the other Party shall be taken into consideration so as not to affect unduly the services which the latter provides on all or part of the same route.

ARTICLE - 7

- (1) The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear a close relationship to the requirements of the public for such services.
- (2) The agreed services provided by a designated airline shall retain as their primary objective the provision at a reasonable load factor of capacity adequate to current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party designating the airline. The right of the designated airline of either Contracting Party to embark and to disembark at the point in the territory of the other Contracting Party international traffic destined

for or coming from third countries shall be in accordance with the principles that such traffic will be of a supplementary character and capacity shall be related to:

- (a) the air transport needs between the country of origin and the countries of destination and the air transport needs of the area through which the designated airline passes, after taking account of local and regional air services; and
- (b) the economy of through airline operation.
- and the nature of air service, that is, transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party shall be agreed upon in accordance with the principles laid down in the present Agreement. Thereafter any changes relating thereto shall be discussed from time to time between the aeronautical authorities of the Contracting Parties and shall come into force upon confirmation by exchange of notes. Pending such changes the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.

ARTICLE - 8

A designated airline of one Contracting Party may make a change of gauge at a point in the territory of the other Contracting Party only on the following conditions:

- (a) that it is justified by reason of economy of operation;
- (b) that the aircraft used on the section more distant from the terminal in the territory of the former Contracting Party are smaller in capacity than those used on the nearer section;
- (c) that the aircraft of smaller capacity shall operate only in connection with the aircraft of larger capacity and shall be scheduled so to do; the former shall arrive at the point of change for the purpose of carrying traffic transferred from, or to be transferred into, the aircraft of larger capacity; and their capacity shall be determined with primary reference to this purpose;
- (d) that there is an adequate volume of through traffic; and
- (e) that the provisions of Article 7 of the present Agreement shall govern all arrangements made with regard to change of gauge.

- (1) Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, before commencing the operation of agreed services, copies of tariffs, schedules and other relevant information concerning the operation of the agreed services and also subsequent modifications of such information.
- (2) The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided and frequency operated on agreed services by the designated airline of the first Contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by those airlines on the agreed services and the origins and destinations of such traffic and the points of embarkation and disembarkation.

ARTICLE - 10

- (1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.
- (2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines, and such agreement shall, wherever possible, be reached through the rate-fixing machinery of the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.
- (3) If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

- (4) If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3), the matter shall be referred to the Contracting Parties for settlement in accordance with the provisions of Article 15 of the present Agreement.
- (5) Pending determination of the tariffs in accordance with the provisions of this Article, the tariffs already in force shall prevail.

- (1) Fuel, lubricants, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores introduced into the territory of one Contracting Party, or taken on board aircraft in that territory, by or on behalf of the other Contracting Party or its designated airline and intended solely for use by or in the aircraft of that airline shall be accorded by the first Contracting Party, in respect of customs duties, inspection fees and other similar national or local duties and charges, treatment not less favourable than that granted to its national airlines engaged in the operation of international air services or to the airlines of the most favoured nation.
- (2) Supplies of fuel, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores retained on board aircraft of the designated airline of one Contracting Party shall be exempt in the territory of the other Contracting Party from customs duties, inspection fees or similar duties or charges, even though such supplies be used by such aircraft on flights in that territory. Goods so exempted may only be unloaded with the approval of the customs authorities of the other Contracting Party. Those goods, which are to be re-exported, shall be kept in bond, until re-exportation under customs supervision.
- (3) The charges which either of the Contracting Parties may impose, or permit to be imposed, on the designated airline of the other Contracting Party for the use of airports and other facilities under its control shall not be higher than would be paid for the use of such airports and facilities by the airlines of the most favoured nation or by any national airline of the Contracting Party engaged in similar international air services.

To the extent to which they are applicable to the air services established under the present Agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the Agreement, as if they were an integral part of the Agreement, unless both Contracting Parties ratify any amendment to the Convention, which shall have duly come into force, in which case the Convention as amended shall remain in force for the duration of the present Agreement.

ARTICLE - 13

(1) Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.

Note: The provision of the second sentence would be applicable only if the States concerned are parties to those Conventions.

- (2) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
- (3) The Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organisation and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph (3) above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

(5) When an incident or threat of any incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

ARTICLE - 14

- (1) There shall be regular and frequent consultation between the aeronautical authorities of the Contracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of the present Agreement.
- (2) Either Contracting Party may at any time request consultation with the other Contracting Party for the purpose of amending the present Agreement. Such consultations shall begin within a period of 60 days from the date of receipt of such request. Any amendments of the present Agreement agreed to as a result of such consultation shall be approved by each Contracting Party in accordance with its constitutional procedures and shall enter into force on the date of exchange of diplomatic notes indicating such approval.
- into force in respect of both Contracting Parties, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

ARTICLE - 15

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

- (2) If the Contracting Parties fail to reach within 60 days a settlement by negotiations they may agree to refer the dispute for decision to an arbitration tribunal or any other person or organisation. The arbitration tribunal shall be composed as follows:
 - (a) each Contracting Party shall nominate an arbitrator;
 - (b) the third arbitrator who shall preside shall be agreed upon between the Contracting Parties.
- (3) If the Contracting Parties do not agree within 60 days to refer the dispute to an arbitration tribunal or having agreed to refer the dispute to an arbitration tribunal they cannot reach agreement within the period specified as to the appointment of the third arbitrator, either Contracting Party may submit the matter for decision to any tribunal competent to decide it which may hereafter be established within the International Civil Aviation Organisation or, if there is no such tribunal, to the Council of the said Organisation.
- (4) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under this Article.

Either Contracting Party may at any time notify the other of its intention to terminate the present Agreement. A copy of the notice shall be sent simultaneously to the International Civil Aviation Organisation. It such notice is given, the present Agreement shall terminate one year after the date of receipt by the other Contracting Party of the notice to terminate, unless by agreement between the Contracting Parties the notice under reference is withdrawn before the expiry of that period. If the other Contracting Party fails to acknowledge receipt, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the date of receipt by the International Civil Aviation Organisation of its copy.

ARTICLE - 17

The present Agreement and any amendment to it shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE - 18

The present Agreement shall be subject to ratification by each Contracting Party in accordance with its constitutional procedures and the Agreement shall come into force on the date of exchange of instruments of ratification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed at New Delhi, this 4th the present Agreement, done in duplicate in the Hindi, January 1989 Arabic and English languages each of which shall have equal authenticity. If there should be any disagreement as to the meaning or interpretation of any provisions of the present Agreement, the English text shall prevail.

(SHASHI KANT MISRA Secretary Ministry of Civil Aviation and Tourism FOR THE GOVERNMENT OF INDIA

(ALI Z. AL-ANSARI) Ambassador of Kuwait to Republic of India

FOR THE GOVERNMENT

OF KUWAIT

ROUTE SCHEDULE

Section - I

Route to be operated by the airline designated by the Government of India in both directions:

India - via points in Pakistan - Afghanistan, two points in the Gulf to Kuwait and if desired beyond to Iran, Belgrade, Rome, Geneva or Zurich, Brussels, Frankfurt, Paris, Prague, Warsaw, United Kingdom, United States of America and/or Canada.

Note: No traffic rights shall be exercised between points in the Gulf and Kuwait.

Section - II

Route to be operated by the airline designated by the Government of the State of Kuwait in both directions:

Kuwait via intermediate points including Afghanistan and Karachi to Bombay or Delhi; and if desired beyond Bombay to Bangkok, Manila, Japan, Kuala Lumpur and Singapore.

Note 1: Bombay and Delhi will not be served on the same flight.

Note 2: Points beyond India will be served only on the transit services operated via Bombay.

Note 3: No traffic rights shall be exercised between Afghanistan/Karachi and points in India.

Section - III

- 1. Points need not necessarily be served in the order named.
- 2. Points on the specified route may at the option of the designated airline be omitted on any or all flights.
- Points other than those in the territory of the other Contracting Party not specified in the Route Schedule may be served provided no traffic rights are exercised between such unspecified points and any point or points in the territory of the other Contracting Party.



सन्दर्भात भारत गणतंत्र PRESIDENT REPUBLIC OF INDIA

जिनके समक्षा यह प्रलेख पहुँचे, उन सबको अमिवादन

जबि भारत सरकार और कुवैत सरकार के बीच विमान तेवाओं ते संबद्ध करार पर नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ तौ नवाती के जनवरी मास के चौथे दिन भारत गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधि ने, जिते इस उद्वेशय के लिए यथीवित रूप ते प्राधिकृत किया गया था, हस्ताक्षर किए थे और जिस करार को इस प्रलेख के अनुबन्ध में शब्दशः उद्धृत किया गया है;

और जबकि उक्त करार की पुष्टिट एवं अनुसमर्थन करना ठीक और उचित है ;

अतः अब ज्ञात हो कि भारत गणराज्य की तरकार उक्त करार को देखने और इस पर विचार करने के बाद इसकी पुष्टि एवं अनुसमर्थन करती है।

• • • • • • 2

िल्लिसे हेन ,तीपठ्यांत्र कि तंत्रास , स्माउठक उत्तस , से प्रशास केंसले किली होगार कि ताम होगार का का का से देख केंसिलाक के घण्यांत्रण तंत्रास , से किन कि ताम होगार का से देख कि ताम होगार कि कि ताम होगार के किन सिम हो प्राप्त के तिम हो ताम होगार के तिम हो ताम ह

१्रेम्मऽठक्ठे ∙ऽगस्} तीपञ्चाऽ किं तजाम

मार सरकार नेवा प्रति सक्त सरकार नारक किंग्स किंग्स कार्या करार

, इंड गण एक "क्षम मिकार मिल केमर हेम्ल इस क्षम कर यह स्था कर गण है है,

प्रती के निक तितावरीए पावि नामनी रिए सेन्ट 1थत चीन के गिग्य पू नेपस निप्रत अपने अपने अपने के प्रति के

: ई हेबु तमश्रम रम निष्म किली हिन्दि

1 रहाम

: प्राती के मार्गिया के 713क महुम्या, कि म ज्यापिष्ट थिए व्यक्त कि एक की का का

के अनिसमय पर का आशा र दिसम्बर, 1944 के शिकाशी में इस्ताधर के मिन मिन मिन मिन मिन मिन स्था के अन्य मिन स्था के अन्य मिन स्था के स्था क

तिस्त कियों के मिसक नामने कियों का का का "मिसक नामने कियोंन" [ए] तिस्त के प्रकृत के स्वति का प्रकृत के प्

7

: 3 :

त्र रूप में फिर्म हो, से उड़ान की जाए जिसकी समता दूसरे लण्ड पर प्रयुक्त किए गए विमान की मिन्ना के इस प्रकार में शिव के कि मार्थ के राम के कि निवास कि-1 क्षेत्र 1915 मिणक नामने किमोन क्षेत्र भिष्ठा कि "169क निक्रीप एक" है-इई

। ई के क्रिकृतः कि जाउक हार्गीएक जास्तुतः के रिक्रिट के १८१ स्वास्त्र के क १। इन्धित के गाम नामित मधार गाम नामित प्राप्ता के प्रम "दिमून्त"

में, यदि जन्यया व्यवस्या न हो, अनुसूची का संवर्भ भी ग्रामित होगा । अनुसूची जनमन कर्गाक का एक अभिन दिस्सा है और "जरार" में संबोधित सभी संदूर्भ 121

11-14ec 5

। इ.१६७३ ग्रेट्स जाकप्रीक्ष अर्थिति वि जाजन कानुन्य प्रक्षी में निक्त क्षिमक किएक निवास क्षिम कि कि कि कि कि कि कि जानिय जिल्ला त्राम क्रमान सेवार "ग्रीत में "निविद्य मार्ग "क्रमा जार्ग में अंतर्पिय विवास सेवार स्पापिय विवास स्पापिय विवास प्रसेक बीववाकारी पक्ष दूसरे सीववाकारी पक्ष को, अनुपूर्वा में निविध्य मार्ग किन्द उससे

E DEFER

निया हर रेक्ट में भीवडाकारि। पक्ष के भू भाग में डोक्ट उड़ना, -: पिंद हिमा प्राक्षणीयको तभीतीननि, पुर्व किक करते हुए, निन्नितियत विशेषाधिकार प्राप्त को न प्रस्ति करार के उपनेप के अयोत, प्रत्येक वीविवाकारी पक्ष की नामित विभान कथना

के जिस उस भ भाग में उस मार्ग के लिए अनुसूची में निविद्ध स्थान या स्थानि क्रिया के निव्हें योता तथा हो कार्य कार्य के मान मान करा के प्रयोग के

निए चढ़ा सकेगा,जिसे उस दूसरे सीववाचारी पक्ष के भू भाग में किसी दूसरे छात पर ते जाया जाता कार नाम कार नाम ते कार नाम तिल्लाम के मान नाम के मान नाम के मान निकार के निकार की ना अनुक के पर । ।। में जिल्ला कि मी में जार का यह अर्थ नहीं समक्षा जाएगा

1 1F49 1h

, किन किक्य हिन्दी, किक्स गर कि कृष् में आरोति कि बार उप फरना के ,ई पार फिली जूरि जाकपींध निर्धित के प्रिवेश्ट के 3 के अनुका के जातिय किसी भी निविष्ट मार्ग पर सम्मत सेवार तत्कात अथवा सीवदाकारी पक्ष, जिस प्रश्ति 111

नामनी र्यत्री के र्राम क्रवर, ई प्राप किये उद्भी जाकप्रीक्ष क्षेत्री क्षेत्र जिल्हा कि है कि

ज्ञान के प्रमान के अपन

। वि प्राप्त प्रक्ति प्राप्त के प्रकृति के १० विक्रिक्त के जाजक कार्य मर्जाई प्रोक्षेत्र के प्राथम के प्राथम अपनि के प्रोक्त के प्रकार ान्नी अथ भी कि ,ार्फ के जीमनुस म्लाम्य प्रकृष्य कि मिमक नामनी जिल्लीका रामित के मियनीयी रिक्ट क्रिय (प्रया क्षित्रकारी प्राप्त कानून और विनियम के

पर समुचित रूप से लागू की जाती है। म्लाम्य के गम्मे मामने मिन्नोर्गित का प्राप्त किमीवनीय म्य ग्रीह के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्रिनीमर्घ के ध्रम जिल्लाकार्धि उसके कि दिनके नामर्थ तामान जात प्रथ जिल्लाकार्धि कर्रिय 121

ड ३क्री

। ई त्रशीनी में क्यिंग उसवा उसके राष्ट्रिको में निर्देश है। कि मिन के कि कि कि कि कि मान कार्योक कार्याक कार्याक कार्या मिन के कि कि कि कि कि कि शिकारी का प्रयोग करने पर ऐसी शाने लगाने का अधिकार होगा जो यह आयासक समझे, पदि यह इस बात -ाम्रिक्टी रूट रजाब किएके रामकी तम्पीर में तमाम कियी किये एट रज्ज तक्रमितीय राम्प्रक र्रक कर्ज कि रीक्ट्रम कि गिक्शामग्रेकी अवैत्ति में १ व्रक्त-ए के गान्न त्रामा प्रकास में प्रकास के तिमके नामनी त्रमाति किकी ग्रीए किन्न जाको के निज्ञ जाकांको कि नमान के निम्मक नामनी किनी कि धिम जीकांकांकी कर्फा

। तापार रायेन कि कार के क्षेत्र किया निया निया निया के भार कि किया कि वार के कार किया कि जासभी। हेर्ज कि जार ग्रहमध र क्याना के मियर के प्रियोग रे रिवास के कियर के स्वापन जार के कियर के विकास के विकास जो वह आवश्यक समक्ष, वशात कि पाँद ऐसा ताल्कालिक निर्मान अपना शान का तामा जाना कान्ता और तार्गर जाक्यीह क नाम की प्राप्त के की की कि कि कि का क्ष्म के कि के कि का र्फ राउभ हिम्म पर हेउक है हिन के मिनपान के प्रिक्त के प्रिक्त के कि हैउक है के कि र्गाक्ष्यी।भ्राप्त कि । गाउँ किएक नामनी भर क्षित कामिनी गाँउम कि राक्ष्यां।भ्राप्त के निक्रां।भ्राप्त के राक्ष्यां।भ्राप्त के निक्रां।भ्राप्त के राक्ष्यां।भ्राप्त के राक्ष्य के राक्य इन्हरू के गाम्न हामा गाठ मिष्य नामशे हमीन मियी क् ध्रम ग्राकाठशी कर्रम

। गाड़िए किन नामम क्लिनीय उप जिल्लाह के सप ग्राजाकानी निमूक में तिथित कि बाध्रांक हिंदि में तिकाक्ष्मी के के क्रिक्स के ब्रह्म भव 121

·····

The same of the sa

.

प्रियोगित के प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र के स्वतंत्र के स

121 पथ की नामित सिमान के पान के प्राचान में प्रत्येक पीवदाना पथ की नामित विमान के पित के पित के प्राचित के प्

र इक्टि

१। १ साम के पान के पान

13.1 विकास सर, प्रश्नेट अपूर कि सिमिस कि समा राह हो कि समार कि समीर कि समार कि समीर कि समार है। अपूर्व के समार कि समार कि समार है। अपूर्व के समार कि समार है। अपूर्व के समार कि समार कि समार है। अपूर्व के समार है। अपूर्व के समार है। अपूर्व के समार कि समार है। अपूर्व के समार कि समार है। अपूर्व के समार कि समार है। अपूर्व के समार है। अपूर के समार के समार है। अपूर्व के समार है। अपूर्व के समार है। अपूर्व के समार है। अपूर के सम

विकास क्षेत्र और प्राप्त के स्वा के स्व के स्

। म्लाम्प्रीय तिमायकी रागी । राज तिमक मामनी भाष

हामही ग्रीश स्त्रीकृष्ट के सिंगम से सिंग कि कामीकृष्टी, ग्रीमा के साम के साम्य के साम्य कि साम कि स

श्रीकृर 8

एक वीवदाकारी पथ के नामित विवान कंपनी निम्नतिष्य शतो पुर ही दूसरे वीवदाकारी इस के किसी व्यान पर केन का परिवर्तन कर सकते :

- कि पहले के संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में टर्मिनल से काफी दूर के सण्ड पर प्रयोग किये जा रहे विमान अपेक्षाकृत नज़वीक के सण्ड पर प्रयोग किये जा रहे विमानों की क्षमता से छोटे हैं
- १गई कि कम क्षमता के विमान केवल बड़ी क्षमता के विभानों के सर्वथ में ही परिपालन करेंगे और उन्हें ऐसा करने के लिए अनुसूचित किया जाएगा, छोटी क्षमता के विमान, बड़ी क्षमता वाले विमानों से लाये गए अथवा उसमें ले जाये जाने वाले यातायात के प्रयोजन के लिए परिवर्तन के स्थान पर पहुँचगे, और उनकी क्षमता मुख्यतः इस प्रयोजन के संवर्भ में निर्धारित की जाएगी,
- 🛊 प 🛊 िक सीपा यातायात पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है, और

•

इंड∙ई कि गेज़ परिवर्तन के संबंध में की गई सभी व्यवस्थार प्रस्तुत करार के अनुखेद 7 के उपबन्धों दारा प्रशासित होगी ।

अनुकंद १

- १।१ प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष अपनी नामित विमान कम्पनी को, सम्मत सेवाओं का परिचालन करने से पूर्व, दूसरे सीवदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को टैरिफ, अनुसूची और सम्मत सेवाओं से संबंधी अन्य संगत सूचना तथा बाद में इस सूचना में किये गये संशोधन की प्रतियों देने के लिए कहेगा ।
- १२१ प्रत्येक सैविवाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे सीयवाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उनके अनुरोध पर ऐसे आवधिक या अन्य आंकड़ें संबंधी विवरण देंगे जो कि पहले सीववाकारी पक्ष की नामित विमान कम्मनी हारा सम्मत सेवाओं पर प्रदान की गई क्षमता और परिचालन की आवृद्धित के पुनरीक्षण के उद्देश्य से उन्हें देना अपेक्षित हो । ऐसे विवरणों में, सम्मत सेवाओं पर उन विमान कम्मिनयों हारा चाहित यातायात की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी सूचना तथा ऐसे यातायात के उद्गम और गतव्य स्थान और यातायात को चढ़ाने व उतारने के स्थान भी शामिल होंगे ।

अनुकेद 10

\$1\$ किसी भी सम्मत सेवा पर टैरिफ उचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें परिचालन की लागत, उचित लाभ, सेवा की मुख्य विशेषतार ईजैसे गित रथं स्थान का स्तर है तथा विनिर्दिष्ट मार्ग के किसी भी हिस्से में अन्य विमान कम्पनियों के टैरिफ सहित सभी संगत पहलुओं पर ध्यान विया जाएगा । ये टैरिफ इस अनुस्केद के निम्नलिबित उपबन्धों के अनुसार निश्चित किर जारगें।

,

\$2 इस अनुखेद के पैरा \$18 में निर्दिष्ट टैरिफ, तथा उनके संबंध में प्रयुक्त रजेसी कमीशन की दरों पर सहमति, यदि संभव हो, नामित विमान कम्मिनियों के बीच प्रत्येक विनिर्दिष्ट मार्ग के संबंध में की जायेगी और ऐसा करार, जहां भी संभव हो सके, अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ की दर-निर्धारण मशीनरी के माध्यम से किया जाएगा । इस प्रकार सम्मत टैरिफ दोनों सीवदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होंगे ।

[3] यदि नामित विमान कम्यनियां इन टैरिफो में से फिसी पर सहमत न हो सके अथवा किसी कारण से किसी टैरिफ पर इस अनुखेद के पैरा [2] के उपबन्धों के अनुसार सहमित न हो सके तो सीवदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी परस्पर सहमित दारा टैरिफ निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे।

१४। यदि वैमानिकी प्राधिकारी, इस अनुक्केंद्र के पैरा १२१ के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किये गये किसी टैरिफ के अनुमोदन अथवा पैरा १३१ के अंतर्गत किसी टैरिफ के निर्धारण पर सहमत न हो सके तो यह मामला प्रस्तुत करार के अनुक्केंद्र । 5 के उपविधों के अनुसार निपटान के लिये सीवदाकारी पक्षों को भेजा जाएगा ।

इस अनुखेद के उपवेशों के अनुसार जब तक टेरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता
तक तक पहले से लागू टैरिफ चलते रहेंगे ।

बन्छेदः ।।

[1] किसी एक सीवराकारी पक्ष के भू-भाग में ते आये गए अवदा उस भू-भाग में दूस रे कारी पक्ष या उसकी नामित विमान कम्मनी बारा या उसकी और से विमान में बदाये गए दूस रे के पूर्णों, निर्यामत विमान उपस्करों और विमान भण्डार क तक्ष में, जिनका उपयोग केवल उस किसक करा कारा या उसके विमान के लिये किया जाना हो, उस प्रथम सीवदाकारी पक्ष बारा, सीमा-शुल्क, जिरोबाद कुल और अन्य ऐसे ही राष्ट्रीय या स्थानीय शुल्कों और प्रभारों के भामले में उसी प्रकार का अनुपूत का उसके जाना होगा जैसा कि वह अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के परिचालन में तमी अपनी राष्ट्रीय विमान कम्मनों के साथ करता है।

\$2 । प्रत्येक सीवराकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के विमान में चढ़ाये गए ईपन, स्नेएको, फालतू पुनो, नियमित उपस्करों और विमान भण्डार की सप्लाई पर दूसरे सीवराकारी पक्ष के भू-भाग में सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क और ऐसे ही शुल्कों या प्रभारों से छूट होगी चाहे ऐसी सप्लाई का उपयोग ऐसे विमान दारा उक्त भू-भाग में उड़ानों पर किया जा रहा हो । ऐसे छूट-प्राप्त माल को दूसरे सीवदाकारी पक्ष के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जाए । वह माल जिसे पुनः निर्यात किया काना है, जब तक सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की वेख-रेख में पुनः निर्यात नहीं कर दिया जाता, तब कुछ दव्छ म रसा जाएगा ।

The state of the s

\$3 को में से कोई भी सीबदाकारी पक्ष, अपने नियंत्रणाधीन हवाई अड्डो और अन्य सुविधाओं का दूसरे सीबदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी दारा उपयोग किये जाने पर जो भी प्रभार लगायेगा, अथवा लगाये जाने की अनुमति देगा, वह उससे अधिक नहीं होगा जो उसके निकटस्य राष्ट्र का विमान कम्पनी अध्या सीबदाकारी पक्ष की ऐसी ही अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी राष्ट्रीय विमान कम्पनी दारा देश हवाई अड्डो और सुविधाओं के प्रयोग के लिए अदा किया जा रहा हो ।

अनुखेद । 2

प्रस्तुत करार के अंतर्गत स्थापित विमान सेवाओं पर जिस सीमा तक ये हातू है। जी के ये उपनेप करार की अयिप के दौरान, सीववाकारी पक्षों के बीच अपने वर्तमान स्वस्थ में उसा किन्तर लागू रहेगे, जैसे कि वे करार के अभिन्न हिस्से हो, बधर्त को बीची सीववाकारी पक्ष अभिन्तर के अभिन्न हिस्से हो, बधर्त को बीववाकारी पक्ष अभिन्तर के बीचन कर दे, जो कि विधिवत् रूप से लागू हो जारगा और उस स्थिति में यथा संशोधित अभिसन्द, क्षेत्रिक की अविध में लागू रहेगा।

बनुकंद । 3

\$1.\$ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुस्य, सीवदाकारा- परा पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी इस्तक्षेप की कार्रवाई के विस्व नागर विभानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक-दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अग है । अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के सामान्य सिदात की सीमित किये बिना, सेविदाकारी पक्ष, किये द स्य से, 14 सितम्बर,1963 को टोकियों में इस्ताक्षरित, विभान में किये गए अपराधों एवं कुछ अन्य कृत्य से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर,1970 को हेग में इस्ताक्षरित, विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण निवारक अभिसम्य और 23 सितम्बर,1971 को मोदीयाल में इस्ताक्षरित नागर विभानन सुरक्षा के विस्त्व गैर-कानूनी कार्रवाई उन्मूलन अभिसमय के प्रावधानों के अनुस्य कार्रवाई करेंगे ।

टिप्सभी: दूसरे वास्य का प्रावधान केवल तभी लागू होगा यदि संबंधित राष्ट्र उन जाभनमधी व एक पक्ष रहे हो ।

- 121 अनुरोध किये जाने पर सिववाकारी एक, गैर-कानूनी रूप से सिवल विभानों का अभिग्रहण किये जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, इवाई अड्डो एवं विमान दिक्यातन सुविधाओं तथा नागर विमानन सुरक्षा को डोने वाले किसी भी प्रकार के सतरे के विरूद एक-दूसरे को सभी राभव राहायता प्रवान करेंगे।
- \$3 अपने पारस्परिक संबंधों में, संबंधित पक्ष, अतराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन दारा सुर्ध्धापत विमानन सुरक्षा प्रावधानों, जिन्हें अंतराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबन्धों के रूप में नामित क्यि। गया है और जहां तक ऐसे सुरक्षा प्रावधान उन पक्षों पर लागू होते हैं, के अनुस्प कार्रवाई करेंगे , वे अपेश करेंगे कि उनके रिजस्ट्रीकृत विमानों के प्रचालक अथवा उन विमानों के प्रचालक जिनका व्यापार का प्रमुख स्थान या स्थाई निवास उनके भू-भाग में है और उनके भू-भाग में स्थित हवाई अहहों के प्रचालक ऐसे विमानन सुरक्षा प्रावधानों के अनुस्प कार्रवाई करें।

किसी विशेष बतरे का सामना करने हेतु विशेष उचित सुरक्षा उपायों के लिए एक सीवदाकारी पक्ष के किसी

भी अनुरोध पर वृसरा संविवाकारी पक्ष सहानुभृति से विचार करेगा ।

٠,

: 0 :

\$ 5 | जब कभी किसी सिविल विभान के गैर-कानूनी अभिग्रहण की घटना या इस प्रकार की धमकी की घटना होती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई अड्डों या दिक्वालन सुविधाओं के विस्त कोई गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो सीवदाकारी पक्ष एक-दूसरे की सचार सुविधाएं प्रवान करके और इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके कतरे को तुरन्त समाप्त करने के लिए आवश्यक सभा उपयुक्त उपाय करके एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

अनुकंद । ।

प्रस्तुत करार को पूरा करने से संबंधित सभी मामलो में निकट संपर्क बनार रखने की
 द्विट से सीववाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच नियमित और बार-बार सलाइ-मशाविरा होता
 रहेगा ।

121 प्रस्तुत करार में संशोधन करने के प्रयोजन से दोनों में से कोई भी स्विदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे स्विदाकारी पक्ष से परामर्श करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श इस संबंध में अनुरोध प्राप्त करने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर शुरू हो जाएगा। ऐसे परामर्श के फलस्वरूप प्रस्तुत करार में किए गए किसी भी संशोधन को, प्रत्येक स्विदाकारी पक्ष दारा अपने संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित करना होगा और ऐसे अनुमोदन के बारे में राजनियक नोटों के आदान-प्रदान की तारीख से ये संशोधन लाग होगे।

#3 में विमान परिवहन से संबंध सामान्य जिल्लान प्रशिक्ष से संबंध सामान्य जिल्लान अभिसमय लागू हो जाए तो प्रस्तुत करार में इस प्रकार का संशोधन किया जाएगा कि वे ऐसे ऑक्सिमय क्य उपबंधों के अनुस्प हो जाए।

अनुक्षेत । 5

111 यि प्रस्तुत करार के अर्थ निर्वचन अथवा प्रवर्तन के संबंध में संविधाकार। १६० ६० ०० वर्ष कोई विवाद उठ सड़ा होता है तो संविदाकारी पर्श्व इस आपस में बातचीत दारा निपटाने का प्रयत्न करेंगे।

\$2 के पितर को निर्णय के लिये मध्यस्थता न्यायाधिकरण या किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन को भेजने के लिए सहमत हो सकते हैं । मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन इस प्रकार होगा,

🎼 प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष एक मध्यस्य नामित करेगा ,

श्रम् तीसरा मध्यस्य जो अध्यक्ष होगा सीवदाकारी पक्षो के बीच सहमित से चुना जाएगा।

गृत यात सिवताकारी पक्ष 60 दिन के भीतर इस विवाद को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजने पर सहमत होने के बाद, तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में उनमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर सहमित नहीं हो पाता तो कोई भी सिवहाकारी पक्ष यह मामला किसी भी ऐसे सक्षम न्यायाधिकरण को फैसले के लिए भेज सकता है, निस्ति स्थापना इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागर विमातन संगठन के अंतर्गत की जा सकती हो और यदि ऐसे क्यायाधिकरण न हो तो यह उक्त संगठन की परिषद को भेजा जा सकता है।

१४१ सिवदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिये गर फिसी भी निर्णय का पालन करते. द

अनुकोद 16

बोनों में से कोई भी सीवदाकारी पक्ष किसी भी समय प्रातुल करार की निकार कर देन के बारे में अपने इरादे की सूचना दूसरे सीवदाकारी पक्ष को वे सकता है । इस संवेध में विधित कर देक प्रति साध-साध ही जंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेजी जाएगी । यदि ऐसा नोटिस प्राप्त करार, दूसरे सीवदाकारी पक्ष हारा ऐसा नोटिस प्राप्त करने की तारीक से एक यह बाद सलाव हो जाएगा, बशर्ते कि सीवदाकारी पक्षों के बीच आपसी सहभीत से संदर्भाधीन नोटिस उक्त अवधि की समावद से पूर्व भाषा नहीं ले लिया जाता । यदि दूसरे सीवदाकारी पक्ष से प्राप्ति सूचना न भिले को अतराद्याय नागर विमानन संगठन को यह नोटिस मिलने के चौदह दिन बाद वह उस पक्ष को भी मिल गया मान लिया जाएगा ।

अनुकेद 17

प्रस्तुत करार तथा इसमें किए गए किसी भी संशोधन को अंतर्राष्ट्रीय नागर विभानन संगठन के पास पंजीकृत कराया जाएगा ।

अनुकोब । ह

प्रस्तुत करार, प्रत्येक सीववाकारी पक्ष की सर्वधानिक प्रक्रिया के अनुसार, उत्तर का के अधीन होगा और यह करार ऐसे अनुसमर्थन के दस्तावेज़ी के आवान-प्रवान की तारीस से प्रवर्त के आयेगा।

2115 au ~~

ाँ श्रीध कान्त मिश्र । स्वित्र, नागर विभानन तथा पर्यटन मंत्रातय कृते भारत सरकार । बती चेंड बत-बवारा ।

श्री केंद्र अत-अवारी |
 भारत गमतंत्र में क्षेत के रामवृत
 भृते क्षेत करकार

मार्ग अनुस्वी

सन्द ।

भारत सरकार दारा नामित विमान कम्पनी दारा दोनो दिशाओं में परिचालित फिर जाने बाले मार्ग :

> भारत - पाकिस्तान के स्थानों से होकर - अफगानिस्तान, खाड़ी से कुवैत तक दो स्थान और यदि अपेक्षित हो, होरान से परे, बेलग्रेड, रोम, जनेवा या न्यूरिच, ब्रुशेल्स, प्रैकफर्ट, पैरिस, प्राम, बारसा, पुनाइटेड किंगडम, अमरीका और/या कनोडा ।

िष्णभी : साड़ी और कुवैत के बीच के स्थानी पर यातायात के अधिकारी का प्रयोग नहीं किया जारगा ।

सण्ड 2

कृतेत सरकार दारा नामित विमान कम्पनी दारा दोनो दिशाओं में परिचालित किए जाने बाले मार्ग :

कुवैत - अफगानिस्तान और करार्था से बम्बई या दिल्ली सहित मध्यवर्ती स्थानों से होकर, और यदि अपेक्षित हो बम्बई से परे बैकाक, मनीला, जापान, कुआलालम्पुर और सिगापुर।

टिप्पणी ।: उसी उड़ान पर बम्बर्र और दिल्ली के लिए परिचालन नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी 2: भारत से परे के स्थानी के लिए उड़ान का परिचालन केवल बम्बई से होकर परिचालित की गई पारगमन सेवाओं दारा किया जाएगा ।

हिष्यभी 3: अफगानिस्तान/कराची और भारत के स्थानों के बीच कोई यातायात के अधिकार। का प्रदेश नहीं किया जाएगा ।

MAR 3

- जिस क्रम में स्थानी का नाम दिया गया है एस क्रम में उनके लिए सेटा के पारकता.
 करना अनिवार्य नहीं है ।
- 2. निर्विष्ट मार्ग पर स्थान, नामित विमान यन्यनी के विकरण पर किसी एक या सभी उद्वास
- उ. दूसरे सिवदाकारी पक्ष के भू-भाग में उन खानों को छोड़ कर जो मार्ग अनुसूका ने निवर्षण नहीं किए गए है, अन्य खानों के लिए परिचालन किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे अभिविध्य खानों और दूसरे सिवदाकारी पक्ष के भू-भाग में किसी एक या अधिक खानों के बीच यातायात के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो ।